"अमन एकता समाज कमिटि"

का

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :- "अमन एकता समाज कमिटि"
2. संस्था का निबंधित कार्यालय :- मोफीज आलम पिता–भातु मियाँ, ग्राम– पिहरा आजाद चौक, पो0–पिहारा, थाना–गाँवा, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड) पिन नं0–815313
3. कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण झारखण्ड।
4. संस्था का उद्देश्य :-

संस्था किसी प्रकार का व्यवसायिक एवं लाभ का कार्य नहीं करेगी।

प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण–

- ❖ शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, मदरसा, महाविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्कालय, एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना।
- ❖ शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, मोबाईल मरम्मति, इलेक्ट्रोनिक्स, आई0टी0आई0, प्ले स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकि संस्थान का संचालन करना।
- ❖ पुस्तकालय, वचनालय, पत्र–पत्रिकाओं का वितरण संग्रह करना। रोजगार से संबंधित ट्रेनिंग मुहैया कराएगी।
- ❖ समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वस्थ्य की रक्षा के लिए स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान चलाना।
- ❖ स्वास्थ्य विकास के लिए सर्वेक्षण करना जागरूकता अभियान चलाना, शिविर लगाना, दवा वितरण करना तथा स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना।
- ❖ असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार, हेपाटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं रोग ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, नेत्र चिकित्सा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराना ताकि विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार–प्रसार करना।
- ❖ औषधीय, सुगंधी पौधे एवं नगदी पौधों के उत्पादन एवं रोपन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
- ❖ मोतियाबिंद ऑपरेशन कार्य, आई कैम्प लगाना, नर्सिंग होम चलाना।

मो0 मोफीज — अध्यक्ष | [signature] — सचिव | Md. Mojahid Ali — कोषाध्यक्ष

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अन्य उद्देश्य –

- पेयजल हेतु कुंआ, चापानल की व्यवस्था करना। स्वच्छता अभियान में सहयोग करना।
- समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वस्थ्य की रक्षा के लिए स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना।
- निःसहाय महिलाओं एवं पुरूषों के आर्थिक विकास हेतु, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।
- आकस्मिक आपदाओं जैसे–बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना। राहत कार्यों में सहयोग देना।
- समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल–विवाह, अंधविश्वास, दहेज प्रथा आदि की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों का संचालन करना।
- पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।
- कृषक समाज के हित के लिए कृषि कार्य के साथ–साथ पशुपालन आदि की व्यवस्था करवाना।
- रोजगार के अवसरों की जानकारी देना, स्वरोजेगार को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण देना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना।
- संस्था द्वारा कलाकारों, संगीतकारों, अभिनयकर्ता, रंगकर्मियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रोत्साहित करना।
- महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना। उनके लिए शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी पेन्टिंग, गुड़िया, अचार, मुरब्बा जैली, जैम आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- संस्था द्वारा कलाकारों ,संगीतकारों, अभिनयकर्त्ता, रंगकर्मियों को निः शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रोत्साहित करना। संस्कृति कार्यक्रमों जैसे नाटक, नुक्कड़, वाद – विवाद सभा गोष्ठि के द्वार विभिन्न समाजिक मुद्दों पर जनता एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

मो० मोस्लिम
अध्यक्ष

सचिव

Md. Mojahid Ali
कोषाध्यक्ष

5.संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :-

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं :-

क्र0 सं0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाकमि	पूर्ण पता, मकान न0/होल्डिंग न0 गली/रोड सं0, मुहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम/शहर, जिला, (मकान अपना है या किराये का अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1.	नाम-मोफिज आलम पिता-भातु मियाँ	ग्राम-पिहरा टोला, मानपुर, जिला-गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0-815313 मो0-7890920653	56	मैट्रिक	व्यवसाय / समाज सेवा	अध्यक्ष	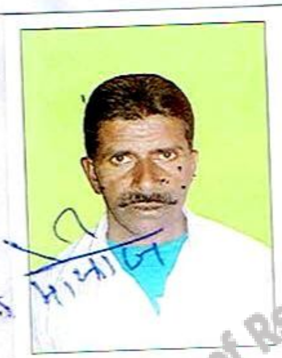	
2.	नाम-मोहम्मद शमशाद पिता-मो0 शमसुद्दीन	ग्राम-घाघरा, पिहरा, जिला-गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0-815313 मो0-9973288211	45	स्नातक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा	सचिव		
3.	नाम-मो0 मोजाहिद अली पिता-मो0 मोफिज उद्दीन	ग्राम-तेलियाडीह, पो0-पिहरा, थाना-गावाँ जिला-गिरिडीह (झारखण्ड) पिन नं0-815313 मो0-76544334521	26	स्नातक	शिक्षक / समाज सेवा	कोषाध्यक्ष		Md. Mojahid Ali

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अध्यक्ष सचिव Md. Mojahid Ali कोषाध्यक्ष

4.	नाम —मो0 नसीम पिता—मो0 छोटू	ग्राम— पिहरा मानपुर, जिला—गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0—815313	28	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा	सदस्य		
5	नाम— मो0 साजिद पिता—मो0 हदीश	ग्राम— पिहरा टोला, जिला—गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0—815313	30	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा	सदस्य		
6	नाम—मो0 सजाद उद्दीन पिता—मो0 मुस्तकीम	ग्राम—घाघरा, पो0—पिहरा, जिला—गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0—815313	48	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा	सदस्य		
7	नाम—मो0 युसूफ अली पिता—अब्दुल कादीर	लकड़ामुण्डा, पीहरा, जिला—गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0—815313	46	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा	सदस्य		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता / पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी हैं :–

क्र0 सं0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाकमि	पूर्ण पता, मकान न0/होल्डिंग न0 गली/रोड़ सं0, मुहल्ला, पोस्ट, थाना, ग्राम/शहर, जिला, (मकान अपना है या किराये का अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो	हस्ताक्षर
1.	नाम–मोफिज आलम पिता–भातु मियाँ	ग्राम–पिहरा टोला, मानपुर, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313 मो0–7890920653	56	मैट्रिक	व्यवसाय / समाज सेवा		
2.	नाम–मोहम्मद शमशाद पिता–मो0 शमसुद्दीन	ग्राम–घाघरा, पिहरा, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313 मो0–9973288211	45	स्नातक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा		
3.	नाम–मो0 मोजाहिद अली पिता–मो0 मोफिज उद्दीन	ग्राम–तेलियाडीह, पो0–पिहरा, थाना–गावाँ जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313 मो0–76544334521	20	स्नातक	शिक्षक / समाज सेवा		

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

4.	नाम –मो0 नसीम पिता–मो0 छोटू	ग्राम– पिहरा मानपुर, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313	28	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा	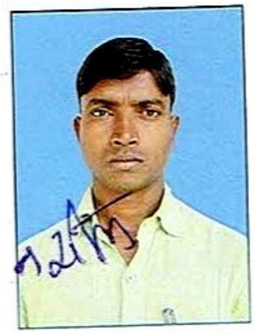	मो0 नसीम
5	नाम– मो0 साजिद पिता–मो0 हदीश	ग्राम– पिहरा टोला, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313	30	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा		मो0 साजिद
6	नाम–मो0 सजाद उद्दीन पिता–मो0 मुस्तकीम	ग्राम–घाघरा, पो0–पिहरा, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313	48	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा		मो0 सजादउद्दीन
7	नाम–मो0 युसूफ अली पिता–अब्दुल कादीर	लकड़ामुण्डा, पीहरा, जिला–गिरिडीह (झारखण्ड), पिन नं0–815313	46	मैट्रिक	प्राईवेट नौकरी / समाज सेवा		Md. Yousuf

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है, ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है। राजपत्रित पदा0 (राज्य अथवा केन्द्रीय) डाक्टर्स/इंजीनियर्स/ नोटरी / विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्य / बैंक या इन्श्योरेन्स ऑफिसर्स / पब्लिक सेक्टर के पदाधिकारी आदि (नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)।

8 JUL 2018

VISHWARANJAN KUMAR
NOTARY PUBLIC
L. No.-18/2002
RANCHI, JHARKHAND (INDIA)

Md. Mojahid Ali

"अमन एकता समाज कमिटि"

की

नियमावली

1. परिभाषा :—

(क) संस्था से अभिप्राय है :— "अमन एकता समाज कमिटि"

(ख) समिति से अभिप्राय है :— संस्था की कार्यकारिणी समिति।

(ग) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है :— 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।

(घ) आम सभा से अभिप्राय है :— संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा।

(ड़) पदाधिकारी से अभिप्राय है :— अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष।

(च) अधिनियम से अभिप्राय है :— संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860

2. **संस्था की सदस्यता की शर्तें** :—

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करने के लिए तैयार हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं, सदस्य बनने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। प्रत्येक सदस्य को कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आलोक में प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

3. **संस्था की सदस्यता की समाप्ति** :—

क) लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
ख) स्वयं तयाग पत्र देने पर तथा संस्था के विरूद्ध कार्य करने पर।
ग) पागल या मृत्यु हो जाने पर।
घ) बैठक में अविश्वास प्रस्ताव होने पर।

4. **कार्यकारिणी समिति का गठन** :—

क. संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 07 (सात) सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

ख. समिति का गठन (कार्यकाल) पांच वर्षो का होगा। जब तक पुनः चुनाव नहीं हो जाता तब तक पुरानी समिति ही कार्य करती रहेगी।

ग. यदि समिति में पदाधिकारी का सदस्य का कोई भी स्थान रिक्त होगा तो समिति उक्त पद पर शेष अवधि के लिए किसी अन्य सदस्य को मनोनित कर सकती है, किन्तु वार्षिक बैठक में इसका विधिवत चुनाव करा देना होगां ।

घ. संस्था के पदाधिकारीयों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा में होगा।

5. **कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार** :—

क) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के विरूद्ध स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करना।

ख) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने वाले सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सदस्यता से वंचित करना।

मो० ... Md Mojahid Ali

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

ग) संस्था संचालन हेतु धन इक्ट्ठा करना तथा आवश्यकता एवं नियमानुसार खर्च करना।

घ) उपशाखाये की स्थापना तथा संचालित करना।

ड) वार्षिक विवरण तैयार करना और आमसभा की स्वीकृति के लिए उपस्थित करना।

च) संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सही संचालन की दिशा में कार्रवाई करना।

6. **पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार :–**

कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य संयुक्त रूप से संस्था के किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार होंगे।

अध्यक्ष :–

(क) संस्था की सभी बैठको की अध्यक्षता करना।

(ख) किसी विषय पर मतदान के समय पक्ष या विपक्ष में समान मत आने की स्थिति में अपनी निर्णायक मत का उपयोग करना।

(ग) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

(घ) संस्था के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना।

(ड.) सभी वितीय मामलों में अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होगी।

(च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी समिति के सलाह पर करना।

सचिव–

1. प्रत्येक बैठक का आयोजन करना।
2. बैठक के कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।
3. संगठन की ओर से पत्राचार करना।
4. संगठन के आय–व्यय का अंकेक्षण कराना।
5. आवश्यकता पड़ने पर समिति की बिना पूर्व अनुमति के 500/– रूपये तक व्यय करना तथा आगामी बैठक में उसे स्वीकृत करा लेना होगा।

कोषाध्यक्ष :–

(क) संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

(ख) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना।

(ग) आकस्मिक खर्च के लिए अपने पास 500/– रूपये तक रखना विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर ही कार्य सम्पादित करना।

7. **आमसभा का कार्य एवं अधिकार:–**

(क) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन।

(ख) संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित, लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।

(ग) संस्था के लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

(घ) संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना।

(ड) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना ।

(च) संस्था के सभी कार्यवाइयों पर निगरानी रखना एवं उन्नति के लिये प्रयत्नशील रहना।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

मो० मा... | ... | Md. Mojahid Ali
अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

8. **आमसभा की बैठकें** :–

(क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संस्था के सचिव की आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं

(ग) **कोरम** :– आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी **(50%+1)**

(घ) **बैठक की सूचना** :–

(i) आम सभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी।

(ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचनाबही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जाएगी।

9. **कार्यकारिणी समिति की बैठकें** :–

(क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर होगी।

(ख) आवश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

10. **आय का श्रोत** :–

(क) सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

(ख) दान अनुदान ।

(ग) चंदा से।

(घ) संस्था के सभी आय वैधानिक स्रोत से होंगे।

11 **कोष की व्यवस्था/ बैंक खाते का संचालन** :–

संस्था के प्राप्त होने वाली सभी राशियां संस्था के नाम किसी बैंक/डाकघर में खुले खाते में रखी जाएगी तथा किसी भी रकम की निकासी संस्था के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

12. **अंकेक्षण** :–

(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

13. **संशोधन** :– संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

मो० मो[illegible] Md. Mojahid A[illegible]

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

14. **पंजी का निरीक्षण** :– संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के सचिव के जिम्मे रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी सचिव की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

15. **कानूनी कार्रवाई** :– संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के सचिव के पदनाम से होगी।

16. **संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :–**

(i) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

(ii) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी

(iii) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 एवं 14 पूर्णतः पालन किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह **"अमन एकता समाज कमिटि"** नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है।

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

मो० मोजाहिद — अध्यक्ष | [signature] — सचिव | Md. Mojahid — कोषाध्यक्ष

आवेदन संख्या 9387

संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण-पत्र

जिला Giridih

निबंधन संख्या 5

(ऐक्ट XXI, 1860)

वर्ष 2019-2020

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि AMAN EKTA SAMAJ COMMITTEE

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई।

आज तारीख 4 मास 4 वर्ष दो हजार 19 को

राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

झारखण्ड सरकार

वास्ते, महानिरीक्षक, निबंधन, झारखण्ड राँची

इस प्रमाण पत्र की सत्यता विभागीय वेबसाइट regd.jharkhand.gov.in में संस्था निबंधन मेनू पर जा कर आवेदन संख्या के आधार पर की जा सकती है।

आवेदन संख्या 9387

संस्थाओं के निबंधन का प्रमाण-पत्र

जिला Giridih

निबंधन संख्या 5

(ऐक्ट XXI, 1860)

वर्ष 2019-2020

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि AMAN EKTA SAMAJ COMMITTEE

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट XXI, 1860 के अधीन आज यथावत् निबंधित हुआ/हुई।

आज तारीख 4 मास 4 वर्ष दो हजार 19 को

राँची में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

झारखण्ड सरकार

वास्ते, महानिरीक्षक, निबंधन, झारखण्ड, राँची

इस प्रमाण पत्र की सत्यता विभागीय वेबसाइट regd.jharkhand.gov.in में संस्था निबंधन मेनू पर जा कर आवेदन संख्या के आधार पर की जा सकती है।